Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- **नाथूलाल महावर तकनीकी पर्यवेक्षक कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) केकडी जिला अजमेर 14,000/— रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार।**

जयपुर, 04 दिसम्बर, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी इन्टे. इकाई, अजमेर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **नाथूलाल महावर तकनीकी पर्यवेक्षक कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) केकडी जिला अजमेर** द्वारा परिवादी के जायज कार्य सुर्य घर पीएम योजना के तहत स्वीकृति जारी करने हेतु आरोपी नाथूलाल द्वारा परिवादी से 14,000/— रूपये रिश्वत की मांग की जाकर आज दिनांक 04.12.2025 को आरोपी से **14,000/— रूपये** रिश्वत राशि बरामद की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी इन्टे अजमेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि नाथूलाल महावर तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा सुर्य घर पीएम योजना के तहत स्वीकृति जारी करने हेतु नाथूलाल द्वारा दिनांक 03.12.2025 को 14,000/— रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। दिनांक 03.12.2025 को रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया जिसमें 14,000/— रूपये रिश्वत राशि दिया जाना तय हुआ।

जिस पर एसीबी अजमेर रेन्ज के **पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी इन्टे अजमेर के **पुलिस निरीक्षक श्रीमति कंचन भाटी** के नेतृत्व में आज टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये नाथूलाल महावर तकनीकी पर्यवेक्षक कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) केकडी जिला अजमेर को **14,000/— रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये पकड़ा गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामलें में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।